केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/201 दिनांक: 22.06.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00194
CICOM/R/2017/00531

अपीलकर्ता : श्री लालचन्द,
पुत्र – श्री पूर्णाराम सैनी,
आदर्श नगर, वार्ड नं. 37, चूरू,
जिला - चूरू, राजस्थान – 331001.

निर्णय की तारीख : 22.06.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	19.04.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	17.05.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	09.06.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	141292/16.06.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को भेजे अपने दिनांक 03.10.2016 के द्वितीय अपील के संबंध में सूचना मांगी थी कि उनका अपील किस तारीख को रजिस्टर्ड की गई एवं अपील सं. क्या है, अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि श्री ए.के.शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि उनका आवेदन श्री कृष्ण अवतार तलवार को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अग्रसारित किया गया है, परन्तु उन्हें अभी तक श्री तलवार द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 19.04.2017 का आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 17.05.2017 को अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि अपीलकर्ता के उक्त अपील का डायरी नं. 178915 के तहत सेन्ट्रल रजिस्ट्रीको भेजा गया है, तत्पश्चात श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री-1 द्वारा दिनांक 17.05.2017 को ही अपीलकर्ता को सूचित कर दिया गया कि उक्त अपील (डायरी सं. 178915) को अपील सं. CIC/PNBNK/A/2017/312170 के तहत पंजीकृत कर लिया गया है । अपीलकर्ता का उक्त अपील दिनांक 18.01.2017 को पंजीकृत हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को उक्त दोनों केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु दोनों जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रतिलिपि पुन: संलग्न है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

O/C

संलग्नक- यथापरि

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
22 JUN 2017
D. No. Swati
Initials

राकेश

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, के.सू.आ., नई दिल्ली ।

22/6/17